राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, उद्योग भवन, सी–स्कीम, जयपुर फोन–0141.2227011, 2227416, फैक्स:–2227723)

क्रमांकः F (7) RGAVP/VS/2013/1502–62 दिनांकः– 08.01.2014
16/01/2014

कार्यालय आदेश

गाइडेंस नोट

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (आरजीएवीपी) में स्वयं सहायता समूह संतृप्तता (Village/SHG Saturation Approach) रणनीति का पालन

स्वयं सहायता समूह की जद/सीमा में हर गरीब परिवार को लाने के लिए आरजीएवीपी स्वयं सहायता समूह के गठन में संतृप्ति रणनीति (Saturation Approach) का पालन करेगी। इस रणनीति का उद्देश्य परियोजना केन्द्रित गांवो में छूटे हुए गरीब परिवारों की पहचान करने और उन्हे स्वयं सहायता समूह की परिसीमा में लाने के लिए है ताकि सभी गरीब परिवारों को संगठित किया जा सके। स्वयं सहायता समूह संतृप्ता दृष्टिकोण ब्लॉक के सभी गांव में सभी गरीब और कमजोर परिवारों के परियोजनाओ के तहत् कवरेज पर जोर देता है। इस रणनीति के माध्यम से यह परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के हर गरीब परिवार को आरजीएवीपी की गतिविधियों के माध्यम से गरीबी से बाहर आने का अवसर मिलेगा।

स्वयं सहायता समूह संतृप्ति क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

1. छूटे हुए गरीब एवं कमजोर परिवारों की पहचान महिला कार्यकर्ताओ पी.आर.पी. व सी.डी.ओ. द्वारा पी.एफ.टी. की मदद से सहभागी गरीब आंकलन Participatory Identification of Poor (पी.आई.पी.) प्रक्रिया के द्वारा की जायेगी। पी.आई.पी. प्रक्रिया द्वारा गांव के स्वयं सहायता समूह के पात्र सभी परिवारों की एक सूची तैयार की जायेगी और उसका बी.पी.एल. प्लस में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन किया जायेगा। पी.एफ.टी. हर गांव में प्रवेश के कुछ माह बाद पी.आई.पी. प्रक्रिया का आयोजन सुनिश्चित करेगी व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं सहायता समूह संतृप्ति रणनीति गांव प्रवेश के पहले वर्ष के अन्त तक लागू हो गयी है।
2. पी.आई.पी. प्रक्रिया द्वारा पहचाने गये ऐसे परिवार जो बीपीएल सूची में छुटे हुए थे उन्हे स्वयं सहायता समूह में आने के लिए प्रेरित किया जायेगा।
3. यदि स्थानीय महिला कार्यकर्ता पी.आर.पी. और पी.एफ.टी. के द्वारा समूह बनाना मुश्किल प्रतीत होता है तो समूह संतृप्ति रणनीति के अंतर्गत नये समूह बनाने के लिए

सी.आर.पी. की मदद ली जा सकती है परन्तु सी.आर.पी. की मदद लेने के लिए गांव में पर्याप्त समूह बनने की सम्भावना होनी चाहिए। जैसे कि वहां कम से कम पांच समूह बनाने के सम्भावना होनी चाहिए। यदि एक गांव में पांच से कम समूह बनने की सम्भावना है तो सी.आर.पी. को एक साथ कम से कम दो से तीन गांव के लिए बुलाया जा सकता है ताकि उनको पर्याप्त काम मिल सके।

4. यदि एक सी.डी.ओ. में उस ग्राम पंचायत के सभी समूहों का आना मुश्किल है तो उसी गांव में एक नया सी.डी.ओ. बनाया जा सकता है।
5. स्वयं सहायता समूह संतृप्ति रणनीति के तहत् गांव में पहले से बने हुए स्वयं सहायता समूह का भी को–आप्शन किया जा सकता है।
6. गांव में आरजीएवीपी व इसके कार्य के प्रचार के लिए आई.ई.सी. सामग्री व टूल्स का उपयोग प्रमुखता से करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक स्वयं सहायता समूह के बारे में सूचना पहुंच सके।

स्टेट मिशन डायरेक्टर,
आजीविका परियोजना एवं
स्वयं सहायता समूह

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ।

1. निजी सहायक, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
2. वित्तीय सलाहकार, राजीविका।
3. परियोजना निदेशक (लाईवलीहुड/एम.एण्ड ई.)।
4. महाप्रबन्धक/वरिष्ठ विशेषज्ञ/विशेषज्ञ (प्रशासन/वित्त/प्रशिक्षण)
5. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक।
6. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
आजीविका परियोजना एवं
स्वयं सहायता समूह